To Allot Shops in New Subzi Mandi

811. Shri Amit Sihag, M.L.A.: Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state—

(a) the time by which the process of allotment of shops in New Subzi Mandi, Dabwali is likely to be completed; and

(b) whether the old Subzi Mandi license holders, removed from the allotment list on the ground that their shops were falling outside the notified area, be eligible for allotment of New Shops in New Subzi Mandi Area on reserve price ?

JAI PARKASH DALAL, AGRICULTURE & FARMERS WELFARE MINISTER

(a) The process for allotment of plots through draw of lots to the eligible licenses is likely to be completed by 30.04.2022;

(b) No Sir.

Detail related with the Un-starred Assembly Question No. 811

To Allot Shops in New Subzi Mandi

The HSAM Board was set up on 1st August, 1969 for exercising superintendence and control over the Market Committees in the Haryana State. Since inception, the Board has established 114 Principal Yards, 167 Sub Yards and 196 Purchase Centers in the State. The Old Subzi Mandi, Dabwali was notified on 18.03.1993 vide no. 663-Agri.S(1)93/5280. The work of construction of New Subzi Mandi, Dabwali was completed during the year 2018 and inaugurated by Hon'ble CM on 07.07.2018. The de-notification of Old Subzi Mandi, Dabwali and notification of New Subzi Mandi, Dabwali issued on 04.02.2019 vide no. 148-Agri.Sec(1)-2019/1775 dated 04.02.2019.

The Old Subzi Mandi was developed by Improvement Trust. 38 licensees are working in the Old Subzi Mandi, Dabwali. As per the HSAMB (Sale of Immovable Property) Rules, 2000, Rule no. 3. "Disposal of Immovable Property" [Sections 18, 43(1)(2)(vi)]. – (1) All immovable properties in the markets developed by the Board or Market Committees shall be disposed off by way of allotment/ transfer/ open auction in accordance with the provisions of these rules. The shop plots will be allotted to the old licensees of category (ii) of old market which is to be de-notified, resulting in displacement of such licensed dealers of category (ii), on free hold basis, for conducting the business of sale and purchase of agricultural produce in the new markets, on the following terms and conditions, namely,

(i) in the markets where some auctions have already been held, the allotment shall be made on the basis of the average price of the last auction;

(ii) in the markets where no auction has so far been held or where the last auction was conducted five years prior to the date of present allotment/ transfer/ auction, the price of the plot shall be fixed at thirty five per cent above the reserve price. The reserve price shall be worked out as per formula approved by the Board vide its resolution dated the 1st June, 1987 or other formula to be approved by the Board from time to time;

(iii) only those category (ii) Licensees shall be eligible for allotment of plots who had valid license of four years on the date fixed for inviting applications for draw of lots;

(iv) Such licensees must have paid market fee of at least Rs.5,000/- annually for the last two years:

Provided that in the case of a category (ii) licensee who does not pay market fee himself, his annual turnover during the last two years should be at least rupees two lakh fifty thousand;

(v) the license of such category (ii) licensee should not have been revoked for a period of two months at a time for violation of any of the provisions of the Act or any rules made thereunder, or non-payment of market fee etc.;

(vi) the category (ii) licensee must have an independent premises, either own or rented, in the old mandi to be de-notified. In case there are more than one licensee in the same premises, the oldest firm or the one which is agreed upon in writing by all the firms occupying the same premises, shall be eligible;

(vii) if the eligible licensee of category (ii) had already purchased a plot in open auction, either in his own name or in the name of the licensee firm, he shall not be allotted a plot on preferential basis as above;

Out of total 38 existing licensee, 32 had applied for allotment of shop plot in New Subzi Mandi, Dabwali on reserve price. The allotment committee vide speaking order dated 23.11.2020 had not declared any applicant eligible on the ground that their premises does not fall within the notified market area. Out of 32 applicants, 26 licensee had filed appeal against the speaking orders of the allotment committee dated 23.11.2020 before the Chief Administrator, HSAMB. The Zonal Administrator, Karnal vide order dated 24.12.2021 disposed off the appeals with direction to the Market Committee for deciding the eligibility of the licensees by passing separate speaking orders. The allotment committee has passed speaking orders on 12.01.2022 and out of 32 licensees, 8 firms/ licenses are declared eligible for allotment of plot. The process for allotment of plots through draw of lots to the eligible licenses is likely to be completed by 30.04.2022.

As per the HSAMB (Sale of Immovable Property) Rules, 2000, old licensees of de-notified mandis who seeks allotment of plots in new mandi on preferential basis shall have an independent premises within the notified Market Area including other eligibility conditions. The allotment committee re-examined the applications and declared 8 licensees eligible for allotment of plots on reserve price. Hence, the old licenses removed from the allotment list on the ground that their shops were falling outside the notified area are not declared eligible for allotment of shop plots in new Subzi Mandi on reserve price.

नई सब्जी मण्डी में दुकानें आबंटित करना

811. श्री अमित सिहाग, एम0एल0ए0 : क्या कृशि एवं किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे कि–

(क) नई सब्जी मण्डी, डबवाली में दुकानों को आबंटित करने की प्रक्रिया को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; तथा

(ख) क्या पुरानी सब्जी मण्डी के लाईसैंस धारकों को इस आधार पर आबंटन सूची से हटाया गया था कि उनकी दुकानें अधिसूचित क्षेत्र से बाहर पड़ती थी, वे नई सब्जी मण्डी क्षेत्र में आरक्षित मूल्य पर नई दुकानों के आबंटन के पात्र होंगे ?

जय प्रका ा दलाल, कृशि एवं किसान कल्याण मंत्री, हरियाणा

(क) योग्य लाईसैंस धारकों को ड्रा द्वारा प्लॉट आबंटित करने की प्रक्रिया 30.04.2022 तक पूर्ण होने की संभावना है;

(ख) जी नहीं श्रीमान् ।

अतारांकित प्र न संख्या 811 से सम्बन्धित विवरण

नई सब्जी मण्डी में दुकानें आबंटित करना

हरियाणा राज्य कृशि विपणन बोर्ड की स्थापना राज्य की सभी मार्केट कमेटियों के नियन्त्रण व देख–रेख के लिए 1 अगस्त, 1969 को की गई थी । स्थापना के बाद से, बोर्ड ने राज्य में 114 मुख्य यार्ड, 167 सब यार्ड व 196 खरीद केन्द्र स्थापित किए । पुरानी सब्जी मण्डी, डबवाली को दिनांक 18.03.1993 को 663–Agri.S (1) 93/5280 के तहत अधिसूचित किया गया था । नई सब्जी मण्डी, डबवाली का कार्य वर्श 2018 के दौरान पूर्ण हुआ जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 07.07.2018 को किया गया । दिनांक 04.02.2019 को पुरानी सब्जी मण्डी डबवाली की अधिसूचना रद्द करके नई सब्जी मण्डी डबवाली को अधिसूचित किया गया ।

हरियाणा राज्य कृशि विपणन बोर्ड की अचल सम्पत्ति अधिनियम 2000, नियम 3. "Disposal of Immovable Property" [धारा 18, 43 (1) (2)(vi)].- (1) के अनुसार बोर्ड या मार्केट कमेटियों द्वारा विकसित की गई सभी सम्पत्तियों को आबंटन/स्थानांतरण /खुली बोली के माध्यम से बेचा जाएगा । अधिसूचना रद्ध की जा चुकी मण्डियों में दुकान के भूखण्ड पुराने वर्ग (ii) के लाईसैंस धारकों को आबंटित किए जाएंगे व परिणामस्वरूप ऐसे विस्थापित वर्ग (ii) के लाईसैंस धारकों को फ्री होल्ड आधार पर कृशि उत्पादों के क्रय व विक्रय का व्यापार करने के लिए नई मण्डियों में निम्नलिखित भार्तों पर खण्ड आबंटित किए जाएंगे ।

(i) जिन मण्डियों में कुछ प्लॉटों की नीलामी पहले ही की जा चुकी है उनमें पिछली नीलामी के औसत मूल्य के आधार पर प्लॉट आबंटित किया जाएगा ।

(ii) उन मण्डियों में जहॉ अभी तक प्लॉटों की नीलामी नहीं की गई हैं या वो मण्डियां जहॉ वर्तमान आबंटन/स्थानांतरण/निलामी 5 साल पहले की गई थी, उनमें प्लॉटों की कीमत आरक्षित मूल्य से 35 प्रति ात अधिक पर तय की जाएगी । आरक्षित कीमत का निर्धारण बोर्ड द्वारा 01 जून, 1987 को पारित प्रस्ताव के आधार पर या कोई अन्य फार्मूला जो बोर्ड द्वारा समय–समय पर पारित किया हो के आधार पर किया जाएगा।

(iii) श्रेणी (ii) के केवल वही लाईसैंस धारक प्लॉट आबंटन के पात्र होंगे जिनके पास Draw of lots के लिए आवेदन की नियत तिथि से चार वर्श पहले का मान्य लाईसैंस हो।

(iv) ऐसे लाईसैंस धारक द्वारा पिछले दो वर्शों में कम से कम 5000/– रूपये वार्शिक के हिसाब से मार्किट फीस जमा करवाई हो ।

इस सम्बन्ध में श्रेणी (ii) के लाईसैंस धारक जो खुद फीस जमा नहीं कराते उनकी पिछले 2 वर्श में पूर्ण बिक्री कम से कम 2.50 लाख रूपये होनी चाहिए।

(v) श्रेणी (ii) के ऐसे लाईसैंस धारक को मार्केट फीस ना जमा कराने बारे या मार्केट अधिनियम के अर्न्तगत किसी नियम की अवहेलना के सम्बन्ध में एक समय में दो माह से अधिक के लिए दण्डित ना किया गया हो ।

(vi) श्रेणी (ii) के ऐसे लाईसैंस धारक के पास अधिसूचना रद्द हुई मण्डी में अपनी खुद की या किराए की दुकान होनी चाहिए । अगर एक दुकान में एक से अधिक लाईसैंस धारक हैं तो सबसे पुरानी फर्म या वहाँ काम कर रही फर्मों के लिखित रूप में समझौते के आधार पर एक फर्म योग्य होगी ।

(vii) यदि श्रेणी (ii) के ऐसे लाईसैंस धारक ने मण्डी में खुली बोली में अपने या अपनी फर्म के नाम पर प्लॉट खरीद लिया है तो उसको प्राथमिकता के आधार पर प्लॉट आबंटित नहीं किया जाएगा ।

38 लाईसैंस धारकों में से 32 ने नई सब्जी मण्डी, डबवाली में आरक्षित मूल्य पर दुकान के आबंटन के लिए आवेदन किया था । आबंटन समिति ने अपने स्पश्ट आदे ा दिनांक 23.11.2020 के अंतर्गत किसी भी आवेदक को योग्य घोशित नहीं किया। इन 32 आवेदकों में से 26 लाईसैंस धारकों ने मुख्य प्र ाासक, हरियाणा राज्य कृशि विपणन बोर्ड के समक्ष आबंटन कमेटी के 23.11.2020 के आदे ा के विरूद्ध अपील दायर की थी। क्षेत्रीय प्र ाासक, करनाल ने 24.12.2021 को जारी आदे ा द्वारा इन अपीलों को रद्द कर दिया गया तथा मार्केट मकेटी को योग्य लाईसैंस धारकों बारे स्पश्ट आदे ा जारी करके निर्णय लेने के निर्दे ा दिए। आबंटन समीति ने दिनांक 12.01.2022 को स्पश्ट आदे ा जारी करते हुए 32 लाईसैंस धारकों में से 8 लाईसैंस धारकों को प्लॉट आबंटन के लिए योग्य घोशित किया। योग्य लाईसैंस धारकों को ड्रा द्वारा प्लॉट आबंटित करने की प्रक्रिया 30.04.2022 तक पूर्ण होने की संभावना है।

हरियाणा राज्य कृशि विपणन बोर्ड की अचल सम्पत्ति अधिनियम 2000 के प्रावधान के अनुसार अन–अधिसूचित मण्डी के पुराने लाईसैंस धारक जोकि नई मण्डी में आरक्षित मूल्य पर प्लॉट लेना चाहते है उनके लिए अन्य योग्यता भार्तो के अलावा पुरानी मण्डी के अधिसूचित क्षेत्र में स्वतन्त्र परिसर का होना अनिवार्य है। आबंटन समीति द्वारा सभी आवेदनों की दुबारा जांच की गई तथा 8 लाईसैंस धारकों को आरक्षित मूल्य पर प्लॉट आबंटन के लिए योग्य घोशित किया गया। अतः पुराने लाईसैंस धारक जिन्हें उनकी दुकानों को अधिसूचित क्षेत्र से बाहर आने के कारण

अयोग्य घोशित किया गया था, वे नई सब्जी मण्डी में आरक्षित मूल्य पर दुकान प्लॉट आबंटन के लिए पात्र नहीं है।